

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना —:

अधिसूचना संख्या 893/भू अ0

दिनांक : 01/12/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—हरिरायडीह, थाना—देवघर, थाना सं०—215, अंचल—मधुपुर, जिला—देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर मधुपुर पथ निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम—हरिरायडीह, थाना—देवघर, थाना सं०—215, अंचल—मधुपुर, जिला—देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.05 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—


क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल वर्गफीट में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	2	रैयती	बाड़ी-1	0.33	मोहन मराण्डी वो समना मराण्डी पे० स्व० मोतीलाल मराण्डी वो सम मराण्डी वो छोटेलाल मराण्डी पे० स्व० कोका मराण्डी अंश समान सा० बदीया।	मौजा बदिया, न० 296	मौजा नवाड ीह, न० 214	अर्जित अंश दाग न०	अर्जित अंश दाग न०
2	4	7	रैयती	बाड़ी-1	0.07	राजू दुडू वो सुनील दुडू वो गुरु दुडू वो कोका दुडू पे० स्व० चान्दो दुडू वो मोहन दुडू पे० स्व० नूनूलाल दुडू वो शनीचर दुडू पे० स्व० झारी दुडू वो लम्बा दुडू वो पोथा दुडू वो दिलीप दुडू पे० स्व० शोमन दुडू वो रामेश्वर दुडू पे० स्व० मंगल दुडू वो सावना हसदा माता स्व० करमी दुडू वो गणेश्वर दुडू वो राम वीर दुडू वो सुरेन्द्र दुडू पे० स्व० सोना दुडू वो सिवीर दुडू पे० स्व० दिवेश्वर दुडू वो बाबूजन दुडू पे० स्व० मधु दुडू वो फुलमनी दुडू पति रामको दुडू वो बाहमुनी दुडू वो ढोली दुडू वो जमनी दुडू पे० स्व० दरवारी दुडू वो सोमरा दुडू पे० स्व० भगन दुडू वो बाबु राम दुडू वो पतन दुडू वो महेन्द्र दुडू वो जितेन्द्र दुडू वो मनोज दुडू वो विकाश दुडू वो अराबन्द दुडू पे० स्व० दुतीराम दुडू अंश समान सा० देह।				
3	4	6	रैयती	बाड़ी-1	0.07					
4	4	5	रैयती	बाड़ी-1	0.07	तथैव।				
5	4	13	रैयती	बाड़ी-1	0.11	तथैव।				
6	6	15	रैयती	धानी-3	0.12	तथैव।				
7	4	16	रैयती	धानी-3	0.12	तथैव।				
8	3	14	रैयती	धानी-3	0.10	मनताज अंसारी पे० स्व० इब्राहीम मियां वो सफरुद्दीन अंसारी वो आवास अंसारी वो छोटे अंसारी पे० स्व० कटवान मियां वो समसुल मियां वो इद्रीश मियां वो रमहतुला मियां पे० स्व० मदन मियां				

						वो समाउल मियां पे० स्व० मधु मियां वो समशेर अंसारी पे० स्व० करीम मियां वो सराज अंसारी वो नराज अंसारी वो सफराज अंसारी पे० स्व० उसमान मियां वो सलीम मियां पे० स्व० कटो मियां वो मजीद अंसारी वो अजीन अंसारी वो हमीद अंसारी पे० स्व० भोला मियां वो मुखतार अंसारी पे० स्व० रसुल मियां वो जहीरउद्दीन अंसारी वो राउत अंसारी पे० हलीम मियां वो जलील अंसारी वो पांचो अंसारी पे० स्व० लीधु मियां अंश समान सा० देह।			
9	1	17	रैयती	धानी-3	0.06	दिलीप मराण्डी पे० स्व० लुखी मराण्डी वो सुकचन मराण्डी पे० स्व० कान्दु मराण्डी अंश समान सा० बदीया।			
कुल रकवा-					1.05				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकांश अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


29/11/17

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 893 / भू अ०, देवघर, दिनांक 01/12/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


29/11/17

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।